मुद्रण तथा प्रकाशन सहकारी समिति

की

आदर्श उपविधियाँ

लखनऊ:
मुद्रण अधीक्षक, उत्तर प्रदेश, भारत
1984

आर्थिक विकास तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु निम्नलिखित कार्य करना :--

(अ) मुख्य--समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :--

(1) लेखकों, कवियों तथा अन्य साहित्य के व्यक्तियों के शोषण को रोकना ;

(2) मुद्रण कला के ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों जैसे अक्षर-योजकों यांत्रिक इत्यादि प्रावैधिक से विवर्ग (technical personal) को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल दिलाने की व्यवस्था करना ;

(3) ऐसे साहित्य का सृजन, प्रचार तथा प्रसार करना जिससे जनता में सहयोग, आर्थिक स्वावलम्बन, सुनागरिकता, सदाचार, मितव्ययिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा सहकारिता के सिद्धान्तों में आस्था तथा भारतीय संविधान के प्रति प्रेम तथा निष्ठा की भावना बढ़ाना;

(4) पुस्तकों, लेखों, साप्ताहिक पत्रिकाओं एवं दैनिक समाचार-पत्रों का प्रकाशन करना ;

(5) मुद्रणालय की स्थापना करना, स्थापना हेतु जमीन खरीदना, किराये पर लेना, भवन निर्माण करना अथवा किराये पर लेना तथा मुद्रण कार्य करना ;

(6) समाचार-पत्र प्रकाशन हेतु संवाददाता संगठनों को स्थापित करना तथा अन्य संवाददाता संगठनों से संबद्ध होना ;

(7) मुद्रणालय के लिये मशीनों तथा अन्य उपकरणों को क्रय करना, किराये पर लेना अथवा उधार किस्तों पर लेने के लिये संविदा करना ।

(ब) गौण (1) अन्य भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन कराने की व्यवस्था करना।

(2) मुद्रण तथा प्रकाशन के लिये आवश्यक साधन जैसे कागज तथा अन्य वस्तुयें जिनकी आवश्यकता होती है, एकत्र करना ;

(3) समिति द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित पुस्तकों, लेखों, साप्ताहिक पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार--पत्रों के विक्रय की व्यवस्था करना ;

(4) प्रदेश की सरकारी संस्थाओं के लिये राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति तथा निश्चय किये गये कार्यक्रमों का प्रसार करना तथा सहकारी संस्थाओं के किये कार्यों तथा उनमें प्राप्त हुई सफलता से जन-साधारण को अवगत कराना ;

(5) सदस्यों तथा मुद्रणालयों के कर्मचारियों की कार्य क्षमता स्थिर रखने तथा उसमें वृद्धि करने हेतु समुचित व्यवस्था करना ;

(6) अन्य ऐसे समस्त कार्य जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक तथा सहायक हों, करना ।

सदस्यता

निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इन समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्--

(क) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिये अनर्हित न हो ;

(ख) "कोई अन्य प्रारम्भिक सहकारी समिति"

(ग) राज्य सरकार ;

(घ) कोई अन्य निगमित निकाय, निबन्धक की पूर्व अनुमति से, जो किसी भी रूप में समिति के कार्य में सहायक सिद्ध हो ।

समिति में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे--

(अ) साधारण सदस्य--

(1) समिति के कार्य-क्षेत्र का निवासी कोई व्यक्ति विशेष, जो कि लेखक, कवि, पत्रकार अथवा पत्रकारिता से संबंधित अन्य कलाकार अथवा मुद्रण कार्य की जानकारी हो पुस्तक अथवा समाचार-पत्र विक्रेता हो ;

(2) राज्य सरकार तथा

(ब) सहानुभूतिकर सदस्य--

(1) कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कार्यकर्ताओं के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो, सहानुभूति कर सदस्य बनाया जा सकता है ;

(2) समिति में सहानुभूति कर सदस्यों की संख्या, किसी भी समय साधारण सदस्यों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूति कर सदस्यों की संख्या न तो दो से अधिक होगी और न समिति के सहानुभूति कर सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक होगी और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग से ही अधिक होगी ;

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो समिति की सहानुभूति कर सदस्य बनना चाहता हो उसे प्रपत्र 'अ' पर समिति के सचिव को प्रार्थना-पत्र देना होगा,

(स) नाम मात्र सदस्य--

(1) कोई व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो नाम-मात्र सदस्य बनाया जा सकता है ;

(2) नाम-मात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र होगा तथा उसे किसी प्रकार के मतदान का अधिकार भी न होगा।

(द) सम्बद्ध सदस्य--

(1) कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी हो, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी शिशिक्षु हो या उस कारोबार से अन्य रूप में हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है ;

(2) सम्बद्ध सदस्य न तो प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये ही पात्र होगा और न उसे किसी प्रकार का मत देने का ही अधिकार होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में कोई हिस्सा पाने का ही अधिकारी होगा।

7--(अ) कमेटी, नियम 38 के प्राविधानों के अनुसार सदस्यों को उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र देने पर भर्ती करेगी;

(ब) नाम मात्र और सम्बद्ध सदस्यों की भर्ती कमेटी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी ;

(स) सदस्यता अस्वीकृत किये जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति को धारा 98 (2) (ख) के अनुसार निबन्धक को अपील करने का अधिकार होगा।

(द) प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को एक रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा जिसे किसी भी दशा में सदस्य को वापस पाने का अधिकार न होगा।

8--सदस्य होने के पश्चात हर व्यक्ति--

(1) इस विषय के एक घोषणा-पत्र प्रपत्र 'स' पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता की अवधि में उनमें किये गये परिवर्तनों तथा संशोधनों यदि कोई हों, का पालन करने को बाध्य होगा ;

(2) सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्णयों, विनियमों तथा नियमों का पालन करने को भी बाध्य होगा ;

(3) निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा ;

(4) एक या अधिक, जैसा निश्चित किया गया हो अंशों की धनराशि का भुगतान करेगा।

9--उक्त उपविधि 8 में अपेक्षित बातों की पूर्ति किये बिना किसी व्यक्ति को सदस्यता के अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार न होगा।

10--किसी भी सदस्य पर अपने अनुबन्ध को भंग करने का अपराधी पाये जाने पर कमेटी द्वारा जुर्माना किया जा सकता है जो 100 रु0 से अधिक न होगा अथवा उसे समिति से निकाला जा सकता है।

11--सदस्यता नीचे लिखी दशाओं में समाप्त हो जायगी:--

(1) मौत होने पर;

(2) त्याग-पत्र देने पर;

(3) हटाये या निकाले जाने पर;

(4) नियमानुसार किसी अपने मनोनीत अथवा किसी अन्य व्यक्ति को समिति में अपना समस्त हिस्सा या हित हस्तांन्तरित कर देने पर ;

(5) वह वांछित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या नियमों अथवा इन उपविधियों के अधीन व्यवस्थित अनर्हता अर्जित कर ली हो ;

(6) वह अधिनियम नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

12--समिति का कोई सदस्य कमेटी को एक माह का नोटिस देकर सदस्यता से हट सकता है बशर्ते कि इस पर समिति का कोई कर्ज न हो या वह किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूति न हो।

13--(अ) कमेटी किसी सदस्य को समिति की सदस्यता से नियम 56 के प्राविधानों के अनुसार हटा या निकाल सकती है ;

(ब) नियम 57 तथा 58 में निर्धारित कार्यवाही करने के पश्चात् समिति का कोई सदस्य कमेटी के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से सदस्यता से हटाया या निकाला जा सकता है।

14--सदस्यों का दायित्व--

(1) साधारण सदस्य का समिति के ऋणों के लिये दायित्व उसके द्वारा खरीदे गये हिस्सों के........गुना तक होगा ;

(2) सहानुभूतिकर सदस्य का दायित्व समिति के ऋणों के लिये उसके हिस्सों तक सीमित रहेगा ;

(3) नाम मात्र या सम्बद्ध सदस्य भले ही समिति का दायित्व कुछ भी हो समिति के समापित किये जाने पर उसकी परिसंपत्तियों में अंशदान करने के लिये जिम्मेदार न होगा सिवाय किसी ऐसे देयों के प्रतिदान के लिये जिनका वह अकेले या किसी अन्य ऋणदाता के साथ संयुक्त रूप से समिति के देनदार हो।

15—सदस्यों के अधिकार—

(1) समिति के प्रत्येक साधारण तथा सहानुभूतिकर सदस्य को, चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) देने का अधिकार होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि—

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है ; या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखंड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनार्थ शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य—

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या नियमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा न होगी;

(3) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने किसी मृत सदस्य के अंशों या हितों को सामूहिक रूप से वाध्य या विधिक प्रतिनिधि के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त किया हो ऐसे व्यक्ति भी समिति के सदस्य बनाये जा सकते हैं :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सामूहिक उत्तराधिकार की दशा में इस प्रकार के व्यक्ति अपने में से किसी एक व्यक्ति की घोषणा (प्रपत्र-अ-1) द्वारा नाम-निर्दिष्ट करेंगे जो सदस्यता के समस्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम होगा । इस प्रकार नाम-निर्देशन के पश्चात् समिति अंश प्रमाण-पत्रों में नामों को इस प्रकार अंकित करेगी कि ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम सामूहिक धारकों की सूची में क्रम-संख्या एक पर होगा ।

16—पूंजी—

समिति की पूंजी निम्न प्रकार बनेगी:—

(1) अंश पूंजी,

(2) ऋण और अमानतें,

(3) आर्थिक सहायता,

(4) अन्य निधियां तथा लाभ,

(5) सुरक्षित कोष,

(6) सदस्यता शुल्क, चन्दे ।

17—हिस्से—

(1) एक हिस्से का मूल्य—होगा, जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित किश्तों में या एक मुश्त अदा किया जायगा । कोई सदस्य कुल बिके हुए हिस्सों के 1 1/5 या 5,000 रु० जो भी कम हो, से अधिक हिस्से न खरीद सकेगा ;

(2) कोई सदस्य अपना हिस्सा तब तक हस्तान्तरित नहीं कर सकता जब तक कि—

(अ) वह कम से कम एक साल तक उसका मालिक न रहा हो ;

(ब) हिस्सा लेने वाला व्यक्ति समिति का सदस्य हो और सदस्यता की योग्यता न रखता हो ।

(3) हिस्सों का कोई भी हस्तान्तरण बिना प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति के न होगा ।

18—समिति का प्रबन्ध व संचालन अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए निम्न निकायों व अधिकारियों में निहित होगा—

(1) साधारण सभा

(2) प्रबन्ध कमेटी,

(3) सभापति,

(4) उप सभापति

(5) सचिव

19—साधारण सभा (सामान्य निकाय)—समिति का अंतिम अधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में अधिनियम व नियमों में प्राविधानों के अधीन रहते हुए निहित होगा । समिति का सामान्य निकाय अधिनियम तथा नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित ढंग से संगठित होगा :—

(1) समस्त साधारण सदस्य द्वारा और यदि उनकी संख्या 250 से अधिक नहीं है । यदि सदस्य संख्या 250 से अधिक हो जाय तो नियम 84 के अन्तर्गत प्रत्येक 10 सदस्यों का निर्वाचन-क्षेत्र बनाकर निबन्धक के अनुमोदन से एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव करके ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव वार्षिक

सामान्य निकाय की बैठक में नोटिस जारी करने के 15 दिन पूर्व तक करा दिया जायगा ;

(2) समस्त सहानुभूतिकर सदस्य ;

(3) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध कमेटी समिति के सदस्य ;

(4) यदि राज्य सरकार सदस्य न हो तो निबन्धक द्वारा मनोनीत प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य ;

20--सामान्य निकाय की विशेष बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों की गण-पूर्ति सामान्य निकाय के कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 अथवा 50 जो भी कम हो, से होगी ।

21--सामान्यतया वार्षिक सामान्य बैठक के अतिरिक्त जब और जैसी आवश्यकता हो, समिति की सामान्य निकाय की बैठक होगी जिसमें समिति की प्रगति तथा भविष्य के कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक विषयों पर विचार होगा ।

22--(अ) समिति के वार्षिक सामान्य बैठक, अधिनियम तथा नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सहकारी वर्ष में वार्षिक विवरणियों तथा उनका लेखा परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र 30 नवम्बर के अन्दर चाहे लेखा परीक्षण हो सका हो या न हो अथवा विशेष परिस्थितियों में निबन्धक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी भी दशा हो, में होगी ।

(ब) निश्चित तिथि पर एजेन्डा में दिये गये विषयों के शेष रह जाने की दशा में शेष विषयों पर अगली निश्चित तिथि पर विचार किया जायगा ।

(स) गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक अगली तिथि पर सामान्य निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 या 25 सदस्यों जो भी कम हो, की गणपूर्ति से होगी । इसकी सूचना सभी सदस्यों को नियमानुसार देना होगा ।

23--वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :--

(1) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्यक्रम का अनुमोदन ;

(2) नियमों और समिति की उपविधियों के अनुबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का तथा प्रबन्ध कमेटी के लिये चुने गये सदस्यों में से सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन, यदि कोई होना हो ;

(3) गत सहकारी वर्ष के रोकड़-पत्र (बैलेंस शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श, यदि नियमों में निश्चित अवधि के अन्दर लेखा परीक्षा पूरी हो गयी हो,

(4) लेखा परीक्षा की आपत्तियों के सारांश पर विचार करना, या आडिट नोट मिल गया हो ;

(5) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना ;

(6) शुद्ध लाभ का निस्तारण,

(7) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार;

(8) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय ।

24--सामान्य निकाय की विशेष सामान्य बैठक, अधिनियम व नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्यों के लिये नियत रीति से बुलाई जायेगी तथा तदनुसार उसकी समस्त कार्यवाही होगी ।

25--समिति की सामान्य बैठक समिति के कार्यालय या उसके निकटतम सार्वजनिक स्थान पर जैसा प्रबन्ध कमेटी तय करे, की जायेगी ।

26--समिति के सामान्य निकाय की बैठकों को बुलाने के लिये नोटिस का समय निम्न प्रकार होगा--

सभी प्रकार की बैठकों के लिये कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 30 दिन का नोटिस का समय होगा ।

प्रबन्ध कमेटी और संगठन

27--समिति का प्रबन्ध एक कमेटी द्वारा होगा जो प्रबन्ध कमेटी कहलायेगी जिसमें वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा चुने-गये तथा मनोनीत आमेलित व्यक्ति होंगे, नियम सं0 445 के अनुसार होगा " तथा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन करने वाले प्राधिकारी की इच्छा पर निर्भर होगा ।

28--प्रबन्ध कमेटी निम्न प्रकार बनेगी, परन्तु किसी भी दशा में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी:--

(1) व्यक्तिगत साधारण सदस्य द्वारा निर्वाचित 10 व्यक्ति;

(2) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 व्यक्ति, यदि राज्य सरकार सदस्य हो ;

(3) निबन्धक द्वारा मनोनीत 1 व्यक्ति, यदि राज्य सरकार न सदस्य हो ;

(4) सहानुभूति सदस्यों द्वारा निर्वाचित 1 व्यक्ति, यदि 10 से ज्यादा ऐसे सदस्य हों;

(5) निगमित निकायों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित 1 व्यक्ति, यदि ऐसे निकाय सदस्य हों :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 34 में उल्लिखित दशाओं में राज्य सरकार को संचालक मण्डल के सदस्यों (सभापति को सम्मिलित करते हुए) इस धारा के प्राविधानों के अनुसार नाम-निर्देशन करने का अधिकार होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी प्रबन्ध कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या में से कम से कम एक तिहाई पद निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे। यदि किसी कारण समिति उक्त पदों पर निर्बल वर्ग के सदस्यों का निर्वाचन न कर सके तो राज्य सरकार को ऐसे पदों पर निर्बल वर्ग के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार होगा।

29—यदि प्रबन्ध कमेटी के चुने हुए सदस्यों में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है, तो वह स्थान पद की शेष अवधि के लिये आमेलन करके शेष सदस्यों द्वारा भरी जा सकती है। यदि नाम-निर्दिष्ट सदस्य का स्थान रिक्त है तो शेष अवधि के लिये नाम-निर्देशन करने वाले अधिकारी से नाम-निर्दिष्ट करने की प्रार्थना की जायेगी।

प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये अनर्हतायें

30—(क) कोई भी व्यक्ति इस सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि

(1) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो ;

(2) वह दिवालिया घोषित हो ;

(3) वह विकृत चित, बहरा गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो ;

(4) उसे निबन्धक की राय में नैतिक पतन संबंधित अपराध के लिये दण्ड दिया गया हो और ऐसे दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो;

(5) वह या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबंधक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य-क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू कर दे या करता हो, जैसा समिति करती हो ;

(6) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यापार या संविदा करे ;

(7) वह समिति के अन्तर्गत अथवा उससे सम्बद्ध किसी समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो ;

(8) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट संबंधी हों ;

(9) वह समिति में सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

(10) वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो;

(11) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, अब जब कि दोष-सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो ;

(12) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो ;

(13) यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के संबंध में समिति या किसी अन्य सहकारी समिति या किसी अन्य सहकारी समिति का कम से कम 6 माह से बाकीदार हो ;

(14) वह तीन अन्य सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो ;

(15) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो ;

(16) वह किसी ऐसे सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य हो जो बाद में निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट-

पूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो ;

(17) वह अधिनियम और नियमों या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्धों के अधीन अन्यथा अनर्ह हो ।

स्पष्टीकरण––समिति का कोई सदस्य समिति में केवल शारीरिक काम के लिये मजदूरी प्राप्त करने पर समिति के लाभप्रद पद पर न समझा जायगा ।

(18) यदि उसके विरुद्ध समिति ने किसी बकाया के संबंध में या अन्य प्रकार से कोई एवार्ड लिया हो और इस एवार्ड का भुगतान न हो गया हो ।

(ख) ज्योंही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों या उक्त उपविधियों में वर्णित कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो उसके विरुद्ध प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियम 454 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

31––कमेटी की बैठक की जब-जब आवश्यकता पड़ेगी और कम से कम महीने में एक बार अवश्य ही होगी । किसी कार्यवाही को करने के लिये कम से कम 1/3 या पांच संचालक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । प्रबन्ध कमेटी की बैठक के लिये सात दिन की नोटिस की आवश्यकता होगी । परन्तु विशेष परिस्थिति में तीन दिन की नोटिस पर भी प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलायी जा सकती है । प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति करेगा । उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति करेगा । दोनों की अनुपस्थिति में कोई सदस्य, जिसे उपस्थित सदस्य चुने, बठक का सभापतित्व करेगा, प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उप सभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे मसलों पर चर्चा होनी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो ।

32––धारा 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कमेटी के हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा । किसी बैठक के सभी विषय उपस्थिति सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे; प्रतिबन्ध यह है संचालक मण्डल का कोई सदस्य किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो । पक्ष-विपक्ष के मत बराबर होने की दशा में सभापति को अपने एक मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

33––समिति के काम में प्रबन्ध कमेटी का हर सदस्य साधारण कारोबारी आदमी की तरह दूरदर्शिता और लगन से काम करेगा और अधिनियम,

नियमों तथा उपविधियों के प्राविधानों के विरुद्ध कोई कार्य न करेगा । उनके द्वारा इन बातों का उल्लंघन किये जाने पर यदि समिति को किसी तरह की हानि हो तो इसके वे उत्तरदायी होंगे ।

35––(क) प्रबन्ध कमेटी के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे–

(1) सदयों की भर्ती करेगी ;

(2) सदस्यों के हिस्से निश्चित करेंगी;

(3) बकायादार सदस्य को निकालने के लिये आम सभा से सिफारिश करेगी ;

(4) सदस्यों के इस्तीफे मंजूर करेंगी ;

(5) समिति का हिसाब-किताब रखवायेगी ;

(6) सामान्य निकाय द्वारा निश्चित अधिकतम उत्तरदायित्व की सीमा के अन्दर ऋण लेगी ;

(7) निश्चित वार्षिक योजना के अनुसार समिति के कार्य का संचालन करेगी ;

(8) समिति की तरफ से केन्द्रीय सोसाइटी में हिस्से खरीदेगी और हिस्सों तथा कर्ज की किस्तों को समयानुसार अदा करने की व्यवस्था करेगी ;

(9) समिति की तरफ से दावा दायर करने, पैरवी करने, जवाबदेही और शर्तनामा करने की अनुमति प्रबन्धक को देगी ;

(10) अधिनियम की धारा 120, 121 तथा 122 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति पर अथवा उन्हें हटाने पर मंजूरी देगी और उनके वेतन तथा अन्य सुविधायें निश्चित करेगी;

(11) प्रबन्धक द्वारा की गई कार्यवाही के खिलाफ अपील सुनेगी;

(12) संबंधित सरकारी कर्मचारियों तथा आडिट अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्टों पर विचार करेगी ;

(13) वार्षिक आय-व्ययक व्योरा, लेखा परीक्षा की आपत्तियों का सारांश एवं समिति के काम की रिपोर्ट तैयार कर वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में प्रेषित करेगी ।

(14) समिति के हिसाब को आडिट करायेगी और रजिस्ट्रार को आडिट फीस अदा करेगी ;

(15) कोषाध्यक्ष के तहवील की जांच करेगी ;

(16) अधिनियमों और इस नियमावली का पालन करायेगी ;

(17) आमतौर पर समिति का कुल काम चलायेगी ;

(18) सामान्य निकाय द्वारा निश्चित नीति के अधीन रहते हुए अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों में से जो उचित हो उन्हें किसी उप-समिति सचिव अथवा अधिकारी को प्रतिनिहित करेगी या इस प्रकार प्रतिनिहित अधिकारों को वापस लेगी ;

(19) अन्य ऐसे, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का उपयोग करेगी जो कि समिति के उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनमें प्रगति लाने के लिये तथा अधिनियम, नियमों और उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक हो।

35--(ख) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल नियम 445 के अनुसार होगा।

सभापति तथा उप सभापति

36--(1) समिति का एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा जिनका चुनाव वार्षिक सामान्य बैठक में, प्रबन्ध कमेटी के लिये चुने गए सदस्यों में से किया जायगा, और उसका कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के साथ ही प्रारम्भ और समाप्त होगा।

(2) सभापति समिति के मामलों तथा कार्यों का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण तथा पत्र-प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन न रहते हुए, सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) सभापति को यह अधिकार होगा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में वह कभी बैठक को स्थगित कर दें।

1--गणपूर्ति का अभाव हो,

2--शांति भंग की आशंका होने पर।

37--(1) उप सभापति नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये गये हों।

(3) यदि सभापति या उप सभापति का स्थान अकस्मात रूप से रिक्त हो जायें तो उसकी पूर्ति नियमों में दीगई निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

सचिव

38--समिति का एक सचिव होगा जो समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन जिसकी व्यवस्था नियमों में की गई है, वह समिति के मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करेगा :

(1) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा,

(2) समिति के लेखा का परिचालन करेगा और उस व्यवस्था को छोड़कर जब समिति में कोई रोकड़िया कोषाध्यक्ष न हो, उसकी रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करेगा तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा,

(3) समिति की विभिन्न बहियों और लेखों को उचित रूप से रखने, और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण-पत्रों और विवरणों को गुप्त रूप से तैयार करना और ठीक समय पर प्रस्तुत करना,

(4) समिति के सामान्य निकाय की बैठक बुलाना,

(5) निरीक्षक तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का सारांश तथा उनका प्रतिपालन, जितना सम्भव हो, तैयार करके वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक से पूर्व, प्रबन्ध कमेटी के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करना,

(6) सब रसीदें, वाउचर और कागज तैयार करना, नियमों अथवा उपविधियों (बाईलाज) या कमेटी के आदेश के अनुसार तैयार होने चाहियें,

(7) समिति की तरफ से पत्र-व्यवहार करना और हस्ताक्षर करना,

(8) आम सभा और कमेटी का तथा उप समितियों की बैठकों की नोटिस (सूचना) जारी करना और उनमें उपस्थित रहना,

(9) इन सब सभाओं की कार्यवाही लिखना और उन पर हस्ताक्षर करना,

(10) वार्षिक नक्शे तैयार करना,

(11) अधिनियम की धारा 31 (घ) के अन्तर्गत समिति का किताबों में किये गये इन्दराजों की नकलों को प्रमाणित करना या कराना,

(12) कर्जदार से जमानत सहित रुक्का लिखाना,

(13) समिति के सदस्य, कर्मचारियों के कार्यों का विवरण रखना,

(14) प्रबन्ध कमेटी तथा सभापति के द्वारा दिये हुए अधिकारों का उपयोग करना तथा कर्त्तव्यों का पालन करना,

(15) धारा 120, 121 तथा 122 के अन्तर्गत बने विनियमों के अधीन रहते हुए, समिति के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना,

(16) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन आवश्यक हो तथा सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी द्वारा उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जांय।

रजिस्टर तथा हिसाब किताब

39—निबन्धक द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर समिति निम्नलिखित रजिस्टर रखेगी :—

(1) सदस्यों का रजिस्टर,

(2) कार्यवाही का रजिस्टर,

(3) कैश बुक और लेजर जिनसे आमदनी और खर्च का पता चले,

(4) हर सदस्य का लेजर,

(5) स्टाक रजिस्टर जिसमें समिति की सम्पत्ति का विवरण रहे,

(6) ऋण रजिस्टर, जिसमें केन्द्रीय सोसायटी तथा अन्य ऋण-दाताओं तथा ऋणियों के सम्बन्ध में समिति का हिसाब रहे,

(7) सदस्य कर्मचारियों द्वारा दिये गये कार्यों का विवरण,

(8) कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति रजिस्टर,

(9) कर्मचारियों के वेतन अथवा मजदूरी रजिस्टर,

(10) निधियों का विनियोजन रजिस्टर,

(11) अन्य रजिस्टर जो नियम 364 के अनुसार आवश्यक हों, तथा जिन्हें निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

सम्पत्ति और निधियां

40—समिति के कुल लाभ में से निम्नलिखित मदें, घटाने के बाद शुद्ध लाभ निकाला जायेगा :—

(1) दिया गया ब्याज,

(2) प्रबन्ध खर्चे, जो हुआ हो,

(3) नुकसान की अन्य मदें,

(4) अशोध्य ऋणों के लिये प्राविधान,

(5) माल या भवन पर अवमूल्यन।

41—समिति की किसी भी सहकारी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से:—

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित करेगी, जो रक्षित निधि कहलायेगी, और

(ख) कम से कम एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष सहकारी वर्ष में अंशदान की जानेवाली धनराशि 2,500 रुपये से अधिक हो जाय तो यह समिति पर निर्भर होगा कि वह 2,500 रुपये से अधिक धनराशि का अंशदान करे अथवा न करे।

42—वितरण योग्य लाभ निकालने के लिये समिति के शुद्ध लाभ में से उपविधि 41 की मदों के अतिरिक्त निम्नलिखित छोड़ दिया जायेगा :—

(1) सभी ब्याज जो अतिदेय हो,

(2) सभी अर्जित ब्याज, किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिसमें ब्याज अतिदेय हो, देय न हो,

(3) ऐसी उधार बिक्री पर जिसमें वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

43—वितरण योग्य लाभ, अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय द्वारा निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से निम्न प्रकार बांटा जायगा—

(1) सदस्यों को उनकी प्रदत्त अंश पूंजी पर 9 प्रतिशत अनधिक की दर से लाभांश का भुगतान,

(2) सदस्यों के व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, धनराशि या माला पर, उस सीमा तक और उस रीति से जो नियमों या समिति की उपविधियों के अन्तर्गत इस तात्पर्य के लिये बनाये गये विनियमों में निर्दिष्ट हो, बोनस का भुगतान,

(3) अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि या राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या नियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट की गयी निधि के संगठन या उसमें अंशदान के लिये,

(4) चैरिटेबुल इनडाउमेन्ट ऐक्ट, 1890 की धारा 2 (क) में तथा परिभाषित किसी (Charitable purpose) पूर्ति प्रयोजन के लिये 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान,

(5) उपविधियों के अधीन बनाये गये विनियमों में निर्दिष्ट तथा तत्समय प्रचलित बोनस ऐक्ट के प्राविधानों में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, निर्दिष्ट सीमा तक समिति के सदस्य, कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को बोनस का भुगतान, और

(6) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना।

रक्षित तथा अन्य कोष

44—समिति की बचत तथा अन्य पूंजी बांटी नहीं जा सकेगी और किसी सदस्य को उसमें कोई हिस्सा पाने का हक न होगा। बचत की पूंजी का रुपया अधिनियम की धारा 59 और नियमों के अनुसार विनियोजित (इन्वेस्ट) किया जायेगा।

45—प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव और निबन्धक (रजिस्ट्रार) की स्वीकृत से समिति अन्य किसी क्षेत्रीय या प्रान्तीय रजिस्टर्ड सहकारी समिति की सदस्य हो सकती है।

कर्मचारी अंशदायी भविष्यनिधि

46—समिति में, यदि किसी भी समय 5 या 5 से अधिक कर्मचारी पूर्णकालिक मौलिक नियुक्ति में होंगे तो धारा 63 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट अंशदायी भविष्य निधि, की स्थापना समिति को करनी होगी।

47—किसी समिति की अंशदायी भविष्य निधि के नाम से जमा किये जाने वाले अंशदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

(1) कर्मचारी के मासिक अंशदान की दर उसके मासिक वेतन के न तो 5 प्रतिशत से कम और न 15 प्रतिशत से अधिक होगी, और

(2) प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में समिति के अंशदान की दर वही होगी जो समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जाय। परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना वह कर्मचारी के वेतन के 6 1/4 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

48—अंशदायी भविष्य निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज अलग-अलग सम्बद्ध कर्मचारी के लेखों में, पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के नाम शेष धनराशि के अनुपात में या निबन्धक द्वारा समय–समय पर तदर्थ जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित रीति से जमा किया जायेगा।

49—अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विनियोजित की जायगी।

सामान्य

50—प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की हुई समिति की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां यथा प्रमाणित समझी जायेंगी यदि उन पर उसके हस्ताक्षर तथा सभापति, उप–सभापति या सचिव द्वारा ठीक प्रमाणित कर दी जायें। ऐसी प्रमाणित प्रतियों के जारी करने के लिये शुल्क 75 पैसा प्रति पृष्ठ और कम से कम पांच रुपया होगा।

51—समिति का कोई सदस्य, कार्यालय के घंटों में किसी समय, समिति के सचिव को प्रार्थना-पत्र देकर और प्रत्येक अभिलेख के निरीक्षण हेतु नियमों के अनुसार शुल्क देकर या तो सदस्य स्वयं अथवा किसी एजेन्ट द्वारा जो समिति का सदस्य होगा और तदर्थ लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत हो, समिति लेखों तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है, जहां तक उनका सम्बन्ध समिति के साथ सम्बन्धित सदस्य के व्यवहारों का होगा।

52—उस दशा में जबकि समिति के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत हो कि समिति के लिये एक मोटर गाड़ी खरीदना आवश्यक है। ऐसी दशा में प्रबन्ध कमेटी, सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित मोटर गाड़ी की किस्म तथा उसके अनुमानित मूल्य, के अधीन रहते हुए, मोटर गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर निबन्धक की पूर्ण अनुमति से मोटर गाड़ी खरीद सकती है, अन्यथा नहीं।

53—समिति के किसी सदस्य, प्रतिनिधि या अधिकारी को, समिति की, या समिति की ओर से किसी अन्य सहकारी समिति की बैठकों में भाग लेने अथवा समिति के निर्देश पर याता करने की दशा में प्राप्त याता भत्ता जिसमें दैनिक

भत्ता भी शामिल है की दरें वही होंगी जो सामान्य निकाय द्वारा, नियमों क प्राविधानों तथा निबन्धक की पूर्व अनुमति के अधीन रहते हुए, निर्धारित की जांय ।

54—इन उपविधियों के निर्वचन सम्बन्धित कोई विवाद उठने की दशा में उस विवाद के निर्वचन हेतु समिति के सचिव द्वारा निबन्धक को प्रेषित किया जायगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

55—इन उपविधियों में पंजीकरण के पश्चात् 90 दिन की अवधि के भीतर प्रबन्ध कमेटी का नये रूप से गठन, अधिनियम, नियमों तथा इन उपबन्धों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया जायगा तदुपरान्त प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों का कार्यकाल समाप्त समझा जायगा ।

56—(क) समिति के कारोबार के सम्बन्ध में कमेटी या किसी सदस्य क मध्य विवाद उठ खड़े होने पर अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए मध्यस्थ निर्णय हेतु निबन्धक को प्रेषित किया जावेगा ।

(ख) प्रबन्ध कमेटी में किसी स्थान के रिक्त रहने या होने या इनके किसी सदस्य में कोई दोष होने पर भी प्रबन्ध कमेटी के कार्य केवल इसी कारण अवैध न ठहराये जायेंगे।

(ग) उपविधियों के किसी भी प्राविधान के, अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों से असंगत होने की दशा में, तत्समय प्रचलित अधिनियम तथा नियमों के प्राविधान प्रभावी होंगे ।

(घ) यदि उपविधियों के किसी प्राविधान के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो संचालक मण्डल ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय पर उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

निर्वाचन विनियम

57—प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम नियमावली तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगा ।

सहानुभूति कर सदस्यता का प्रार्थना-पत्र

(नियम 51 के अधीन)

सेवा में,

सभापति/सचिव

सहकारी समिति——————लि0

पता——————

जिला——————

महोदय,

मैं एतद्द्वारा सहकारी समिति——————लि0, में सहानुभूति कर सदस्य बनने के लिये प्रार्थी हूं और मैंने प्रवेश शुल्क रुपया—————— रसीद संख्या——————, दिनांक——————द्वारा उपरोक्त समिति में जमा कर दिया है ।

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे——————अंश प्रदिष्ट कर दिये जायें । मैं इन अंशों को प्रयुक्त या क्रम-संख्या में, जो भी मुझे प्रदिष्ट किये जायेंगे स्वीकार करने के लिये सहमत हूं ।

प्रार्थी का विवरण:—

(1) पूरा नाम

(2) पिता/पति का नाम

(3) आयु

(4) व्यवसाय

(5) स्थायी पता

(6) वर्तमान पता

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने जो उपरोक्त विवरण दिया है वह मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है तथा मैं सहकारी अधिनियम, नियमों तथा उस समिति की उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिये अर्ह हूं ।

प्रार्थी का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रपत्र–ब

घोषणा–पत्र

(नियम 40 के अधीन)

हम सभी हस्ताक्षरकर्ता जिन्होंने स्वर्गीय श्री——————————— पुत्र———————————— –निवासी——————— द्वारा पारित————————————सहकारी समिति लि0————————के अंश/अंशों को संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, एतद्द्वारा संयुक्त तथा/व्यक्तिगत रूप से श्री——————————————पुत्र——————— निवासी————————————————को जो उपरोक्त अंश/अंशों के संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी हैं, अपना प्रतिनिधि।घोषित करते हैं तथा उनको नियम 40 के स्पष्टीकरण (2) के अधीन रहते हुए, उपरोक्त समिति के कार्यों में मतदान देने का अधिकार है।

दिनांक——————————सन् 19——————— ।

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

1——————————————

2——————————————

साक्षी—

1—(1) हस्ताक्षर
(2) पूरा नाम
(3) पिता/पति का नाम
(4)पूरा पता

2—(1) हस्ताक्षर
(2) पूरा नाम
(3) पिता/पति का नाम
(4) पूरा पता

प्रपत्र–स

घोषणा–पत्र

(नियम 48 के अधीन)

———————————————————सहकारी समिति लि०————

सदस्य बनने

——————में, ———————के सदर्भ में एद्द्वारा में घोषित करता

अपने आवेदन-पत्र

हूं कि मैंने समिति की वर्तमान उपविधियों तथा समिति के अन्य विनियमों का अध्ययन कर लिया है। समिति की वर्तमान उपविधियों तथा अन्य विनियमों को मुझे पढ़कर सुना तथा समझा दिया गया है, और मैं उसमें सहमत हूं तथा उन्हें और मेरी सदस्यता की अवधि में समय–समय पर उनमें जो परिवर्तन तथा परिवर्धन होंगे, मुझे मान्य होंगे, तथा मैं उनके परिपालन के लिये बाध्य हूंगा।

दिनांक——————————सन् 19 ।

हस्ताक्षर
या
निशानी अंगूठा ।

साक्षी:—

1—(1) हस्ताक्षर
(2) पूरा नाम
(3) पिता।पति का नाम
(4) पूरा पता

2—(1) हस्ताक्षर
(2) पूरा नाम
(3) पिता/पति का नाम
(4) पूरा पता ।

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 2 सहकारी–7–1–84–(3439)–1984–
–1000 (प्रो0) ।